न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी– अतुल प्रकाश, आई0ए0एस0 (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 5/20

कन्हैया आत्मज सुखदेव, जाति नाई, निवासी शंकरपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
– (वादी)

बनाम

1. भीमराज पुत्र स्व. रामकरण
2–5. नन्दकंवर, राममूर्ति, मनोहर, निर्मला पुत्रियां स्व. रामकरण
6. सोसर पत्नी स्व. रामकरण
जाति नाई, निवासीगण ग्राम शंकरपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
7. राजेन्द्र आत्मज स्व. गोपाल
8–9. माया, उमा पुत्रियां स्व. गोपाल
10. सन्तोष पत्नी स्व. गोपाल
जाति नाई, निवासीगण ग्राम शंकरपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
11. गुड्डी बाई पत्नी लालचन्द, जाति धाकड, निवासी ग्राम अरलिया, तह. लाडपुरा, जिला कोटा
12. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा

– (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 91, 188 राज॰टी॰एक्ट

उपस्थिति : 1. श्री बलराम शर्मा, वादी अभिभाषक
2. श्री जगदीश शर्मा, अभिभाषक प्रतिवादी–11
3. वादी एवं प्रतिवादी पक्षकार 1 लगायत 11 स्वयं उपस्थित

निर्णय राजीनामा **Date : 24-02-2020**

1. यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88] 89] 53] 91] 188 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।
2. वादी द्वारा अपना वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–
   - ग्राम पीपलखेडी, पटवार हल्का अरल्य जागीर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में खसरा नम्बर 265 रकबा 2.17 हैक्टर आराजी स्थित है। (नकल जमाबन्दी संलग्न है)। उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 11 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। इसमें वादी का 3/10 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 7 लगायत 10 का 1/10 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 11 का 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है।
   - वादी एवं प्रतिवादी के पूर्वजों के मध्य हुये विभाजन के अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 10 के पूर्वज पूर्व में ही अपने हिस्से की आराजी प्राप्त कर चुके थे। तथा उसी के अनुसार वर्तमान में भी काबिज काश्त है। यह तथ्य प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 10 को, अपने पूर्वजों के समय से ही जानकारी में था। विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर वादी ही काबिज काश्त है तथा प्रतिवादीगण इस आराजी पर कभी भी काबिज नहीं रहे है।

Scanned by CamScanner

- वादी द्वारा कई बार प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 10 से विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख से नाम हटवाने के लिये कहा तो वे टालटूल करते रहे। प्रतिवादी क्रम–11 ने भी बंटवारा करवाने से इन्कार कर दिया। इस कारण वादी को वाद पेश करना आवश्यक हो गया।
- प्रतिवादीगण का विवादित आराजी में नाम होने के आधार पर प्रतिवादीगण विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करने के उद्देश्य से, वादी के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में मदालखत व मजाहमत करने लग गये है। इसी प्रकार के विवादों के कारण वादी को दिनांक 15.12.2019 को वाद कारण उत्पन्न हुआ। प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का होने से वाद के साथ अनुमति के लिये धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है। वाद अवधि मय है। वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में है।
- अतः निवेदन है कि ग्राम पीपलखेडी, पटवार हल्का अरल्या जागीर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 265 रकबा 2.17 हैक्टर के राजस्व अभिलेख से प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 10 का नाम हटाया जावे तथा उनके हिस्से को वादी के हिस्से में शामिल करते हुये वादी को आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे, तदुपरान्त वादी एवं प्रतिवादी क्रम 11 के 1/2, 1/2 हिस्से का विभाजन करने के आदेश फरमावें। वादी के पक्ष में, प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 11 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण, वादी के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में दखल न दें तथा आराजी को किसी भी रूप में खुर्द बुर्द करने का प्रयास नहीं करें।
- वादी द्वारा, अपने कथन के समर्थन में, विवादित आराजी की नकल जमाबन्दी संवत 2073–2076 पेश की गई।

3. न्यायालय में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी हेतु सम्मन जारी किये गये। पेशी दिवस दिनांक 18.02.2020 को वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 11 स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुये। उनके अभिभाषकगणों की ओर से एक प्रार्थना पत्र बाबत राजीनामा पेश कर निवेदन किया गया कि –
   - विवादित भूमि पुश्तैनी भूमि है और प्रतिवादीगण नं. 1 मा 10 के पूर्वज रामकरण जी ने अपने हिस्से की भूमि अन्य जगह प्राप्त कर ली है तथा वाद विषयक भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा किन्तु रामकरण की मृत्यु के बाद वारिसान के रूप में वादीगण का नाम दर्ज हो गया व नाम डिलीट नहीं हो सका जबकि वाद विषयक आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा होना प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 स्वीकार करते है। अतः वाद विषयक आराजी से प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 का नाम डिलीट किये जाने व 1/2 हिस्से की भूमि वादी के नाम दर्ज किया जावे।
   - विवादित आराजी खसरा नम्बर 265 की 2.17 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 11 गुड्डीबाई का है। पूर्व दिशा की भूमि पर प्रतिवादी क्रम–11 काबिज काश्त है। अतः विवादित आराजी में पूर्व का हिस्सा प्रतिवादी के नाम दर्ज किया जावे।
   - वादी एवं प्रतिवादी की 1/2, 1/2 हिस्सा आराजी का राजीनामा अनुसार विभाजन किया जाकर पृथक पृथक खाते दर्ज किये जने की डिक्री जारी की जावे।

4. उपरोक्त राजीनामा क साथ सभी पक्षकाराना द्वारा अपनी अपनी पहचान स्वरूप स्व–हस्ताक्षरित पहचान पत्र की फोटोप्रति पेश की गई, जिनका हमने मूल प्रतियों से मिलान किया गया। प्रकरण की पत्रावली की आदेशिका मे प्रत्येक उपस्थित पक्षकार के हस्ताक्षर करवाये गये। हमने व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 10 से, उनका नाम हटाये जाने की जानकारी होने तथा राजीनामा अनुसार

Scanned by CamScanner

कार्यवाही किये जाने की सहमति के बारे में पुछा, साथ ही प्रतिवादी क्रम 11 द्वारा उनके काबिज दिशा के अनुसार विवादित आराजी का विभाजन करने बाबत पुछा तो उन्होनें राजीनामा अनुसार प्रकारण का निस्तारण कराये जाने की सहमति दी गई है। उभयपक्ष के अभिभाषकगणों द्वारा भी पक्षकारान की सहमति से राजीनामा अनुसार प्रकरण का निर्णय किये जाने के कथन को स्वीकार किया है।

5. प्रकरण में उभयपक्षकारान की ओर से पेश राजीनामा और मूल वाद तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का उनके गुणावगुण के आधार पर अवलोकन, अध्ययन, मनन कर वाद स्वीकार करते हुये राजीनामा अनुसार ग्राम पीपलहेडी, पटवार हल्का अरल्याजागीर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 265 रकबा 2.17 हैक्टर को इस प्रकार आदेशित किया ताजा है –
   - उपरोक्त विवादित आराजी से प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 10 नाम डिलीट किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।
   - प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 10 का नाम डिलीट होने पर, उनके 1/10, 1/10 हिस्से को वादी के 3/10 हिस्से में सम्मिलित कर वादी को विवादित आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।
   - विवादित आराजी का वादी एवं प्रतिवादी में 1/2, 1/2 हिस्से का विभाजन किया जाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज कर अमल दरामद किया जावे।
   - प्रतिवादी क्रम 11 के खाते में दर्ज 1/2 हिस्सा, पूर्व दिशा में अंकित किया जावे।

   न्यायालय के समक्ष सहमति से विवादित आराजी में दिशा आदि सहित राजीनामा होने के कारण सीधे ही फाईनल डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को निर्णयानुसार पालना किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

6. यह राजीनामा निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24 फरवरी, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश) I.A.S. (P)
सहायक कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner

फाईनल डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – अतुल प्रकाश, I.A.S. (P.)

बउनवान :– RCMS id : 2020 / 00006

	कन्हैया आत्मज सुखदेव, जाति नाई, निवासी शंकरपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा – (वादी)
	बनाम
1.	भीमराज पुत्र स्व. रामकरण
2–5.	नन्दकंवर, रामभूर्ति, मनोहर, निर्मला पुत्रियां स्व. रामकरण
6.	सोसर पत्नी स्व. रामकरण
	जाति नाई, निवासीगण ग्राम शंकरपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
7.	राजेन्द्र आत्मज स्व. गोपाल
8–9.	माया, उमा पुत्रियां स्व. गोपाल
10.	सन्तोष पत्नी स्व. गोपाल
	जाति नाई, निवासीगण ग्राम शंकरपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
11.	गुड्डी बाई पत्नी लालचन्द, जाति धाकड, निवासी ग्राम अरलिया, तह. लाडपुरा, जिला कोटा
12.	स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा – (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 89, 53, 91, 188 RTA

मुकदमा नम्बर : 5 / 20

निर्णय दिनांक : 24-02-2020

न्यायालय हाजा में वादी अभिभाषक श्री बलराम शर्मा, प्रतिवादी अभिभाषक श्री जगदीश शर्मा की उपस्थिति में (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष वादी एवं प्रतिवादी पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा की तस्दीक उपरान्त आज तारीख 24–02–2020 को अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर ग्राम पीपलहेडी, पटवार हल्का अरल्याजागीर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 265 रकबा 2.17 हैक्टर से प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 10 नाम डिलीट किये जाने, प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 10 के 1/10, 1/10 हिस्से को वादी के 3/10 हिस्से में सम्मिलित कर वादी को विवादित आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करने, वादी एवं प्रतिवादी क्रम–11 के 1/2, 1/2 हिस्से का विभाजन किया जाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज कर अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है, जिसमें प्रतिवादी क्रम 11 के खाते में दर्ज 1/2 हिस्सा, पूर्व दिशा में अंकित किया जावे। फाईनल डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को निर्णयानुसार पालना किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 24 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर सरे इजलास जारी की गई।

(अतुल प्रकाश) I.A.S. (P)

सहायक कलक्टर, कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
		रूपया			रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	

Scanned by CamScanner